न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

र्थना पत्र संख्या 100/2018

गोपाल पुत्र मांग्या जाति मेघवंशी निवासी बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदक

बनाम

1. राकेशकुमार
2. अमितकुमार पुत्रान मदनलाल जाति मेघवाल निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. खींवाराम पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी वार्ड नं. 39 सीकर तहसील व जिला सीकर

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अं.धारा 212 रा.का.अधि. व
आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151सीपीसी

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री विजेन्द्र सिंह दूत
ऐडवोकेट अनावेदक :— —

आदेश

दिनांक 20.05.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी की सरहद में भूमि ख.न. 285/0.04, 1909/288/2.92 कुल रकबा 2.96 है0 स्थित है जो आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की शामलाती खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि है। उक्त भूमि आवेदक अकेले की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिसमें आवेदक ने ख.न. 1909/288 की भूमि में से 0.22 है0 भूमि अनावेदकगण नं. 1 व 2 को विक्रय की है और रकबा 1.54 है0 भूमि आवेदक ने रामादेवी पत्नी नाथूराम मेघवाल को विक्रय की है जिसने बाद में बद्रीप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद बलाई निवासी पहाडिला को विक्रय की है तथा उसके बाद उसने अनावेदक नं. 3 को विक्रय कर दिया है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 काबिज व आबाद है तथा मौखिक विभाजन करके हिस्से अनुसार आपसी सहमति से मौखिक विभाजन करके हिस्से अनुसार अलग अलग सीमा बनाकर कब्जा काश्त कर रखा है और शांति पूर्वक तरीके सें उपयोग उपभोग करते हैं। आवेदक व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 3 के आपस में हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि शामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिनका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है तथा शामलाती खातेदारी की प्रश्नगत भूमि रहने से आवेदक अपने हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि का अच्छी तरह से विकास नही कर पाता है और शामलाती खातेदारी रहने से भविष्य में चलकर कभी भी हिस्से को लेकर मत भेद हो सकता है। अनावेदक नं. 1 लगायत 3 ने विभाजन कराने से मना कर दिया और आवेदक के हक हिस्से की भूमि से महरूम कर देना चाहते हैं और आवेदक को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करके मिट्टी की खुदाई करके व पेड पौधे काटर वेस्ट व डेमेज करने के लिए आमदा है। अतः अनावेदक नं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत भूमि ख.न 285/0.04, 1909/288/2.92 कुल रकबा 2.96 है0 में आवेदक के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि रकबा 1.20 है0 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे तथा भूमि को खुर्द बुर्द नही करे तथा विभाजन से पूर्व कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

बहस तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरें व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं। अतः इन तीन बिन्दुओ पर चन निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– वादग्रस्त आराजी भूमि ख.न. 285/0.04, 1909/288/2.92 किता 2 कुल रकबा 2.96 है0 भूमि में 1.20 है0 का आवेदक खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति :– प्रश्नगत भूमि में आवेदक सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अत सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आवेदक के पक्ष मे हैं।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अनावेदकगण को तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आवेदक के हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करे, कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ